भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †472

उत्तर देने की तारीख- 25/07/2024

प्रधानमंत्री जनमन योजना का शिक्षा पर प्रभाव

†472 श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री प्रवीण पटेलः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री जनमन जनजातीय योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) युवा शिक्षा कौशल विकास योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक क्षेत्रीय वितरण सहित इनके लाभार्थियों के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) संगत आंकड़ों और लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर जनजातीय युवाओं में शिक्षा और कौशल विकास पर प्रधानमंत्री जनमन योजना का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के प्राथमिक उद्देश्यों और लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और ये किस प्रकार जनजातीय विकास के समग्र लक्ष्यों के साथ संरेखित हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने एनआईईएसबीयूडी और आईआईई के माध्यम से वीडीवीके की स्थापना के लिए पीवीटीजी लाभार्थियों को उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिसके बाद उन्हें सलाह और मार्गदर्शन दिया गया है। इसके अलावा, सतत आजीविका, बाजार विकास, उत्पादों के लिए उचित मूल्य निर्धारण, लघु वनोपज (एमएफपी) का मूल्य संवर्धन और पीवीटीजी के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका समग्र उद्देश्य एमएफपी और अन्य उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ाकर पीवीटीजी-वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करना है। एमएसडीई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2024-25 के लिए पीएम-जनमन के तहत लाभार्थियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	5312
2.	छत्तीसगढ़	1362
3.	गुजरात	835
4.	झारखण्ड	1561
5.	कर्नाटक	551
6.	केरल	119
7.	मध्य प्रदेश	5075
8.	महाराष्ट्र	3553
9.	ओडिशा	1009
10.	राजस्थान	2271
11.	तमिल नाडु	611
12.	तेलंगाना	49
13.	उत्तर प्रदेश	299
14.	उत्तराखंड	263
15.	त्रिपुरा	2551
		25421

इसके अलावा, पीएम जनमन के संबंध में समग्र शिक्षा के तहत, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने पीवीटीजी छात्रों की शिक्षा के लक्ष्य के लिए 100 छात्रावासों को मंजूरी दी है।

(ग): प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) का उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को बुनियादी मानकों जैसे कि सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और 3 वर्षों में मिशन मोड में स्थायी आजीविका के अवसरों की दिशा में काम करने में सहायता करना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों के 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना बनाई गई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

क्र. सं.	गतिविधि	योजना	मंत्रालय	परियोजना पर लक्षित लाभार्थियों की संख्या
1	पक्के मकानों का प्रावधान	प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	ग्रामीण विकास मंत्रालय	कच्चा मकान (4.9 लाख)
2	सम्पर्क सड़क	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना		लगभग 8000 कि.मी.
3	पाइप से जल आपूर्ति व्यक्तिगत या सामुदायिक जल आपूर्ति	जल जीवन मिशन (जेजेएम)	जल शक्ति मंत्रालय	सभी पीवीटीजी बस्तियां
4	दवा लागत के साथ सचल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1000 एमएमयू
5	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	समग्र शिक्षा (छात्रावास)	शिक्षा मंत्रालय	500 छात्रावास
6	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण एवं संचालन	आँगनवाड़ी सेवाएं (एडब्ल्यूसी)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	2500 आंगनवाड़ी केन्द्र
7	वीडीवीके की स्थापना	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन	जनजातीय कार्य मंत्रालय	500 वीडीवीके
8	बहुउद्देशीय केंद्रों (एमपीसी) का निर्माण	पीवीटीजी का विकास		1000 एमपीसी
9	अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण	नवस्वरूपित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) या एमएनआरई योजना के माध्यम से	विद्युत मंत्रालय	सभी अविद्युतीकृत आवास/बस्तियाँ
10	मोबाइल टावरों की स्थापना	दूरसंचार विभाग (यूएसओएफ)	संचार मंत्रालय	सभी कवर न किए गए गांव/बस्तियां
11	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास	समग्र शिक्षा अभियान और पीएम कौशल विकास	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कौशल विकास मंत्रालय	आकांक्षी ब्लॉक, पीवीटीजी छात्रावास और बहुउद्देशीय केंद्र

*****